

डिक्री मुकदमात ईबतदाई
(ओ. नं. 6 व 7 जाप्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी - श्री प्रमोदकुमार सिंधव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 897 / दावा / 2019
दायरा 15 / 07 / 2019

उनवान्

शिवराज गूर्जर पुत्र भवानीशंकर जाति गूर्जर निवासी कुन्जेड तह0 खानपुर
— वादी


बनाम्

1. राधीबाई पुत्री देवा जाति गूर्जर निवासी कुन्जेड तहसील खानपुर
2. गीताबाई पुत्री देवा जाति गूर्जर निवासी कुन्जेड तहसील खानपुर
3. हरिराम पुत्र बद्रीलाल जाति गूर्जर निवासी कुन्जेड तहसील खानपुर
4. धर्मराज पुत्र बद्रीलाल जाति गूर्जर निवासी कुन्जेड तहसील खानपुर
5. शोदान पुत्र बद्रीलाल जाति गूर्जर निवासी कुन्जेड तहसील खानपुर
6. गीताबाई पुत्री बद्रीलाल जाति गूर्जर निवासी कुन्जेड तहसील खानपुर
7. अयोध्याबाई पुत्री बद्रीलाल जाति गूर्जर निवासी कुन्जेड तहसील खानपुर
8. प्रकाश पुत्र बद्रीलाल जाति गूर्जर निवासी कुन्जेड तहसील खानपुर
9. शाखा प्रबंधक हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोलाना तहसील खानपुर
10. राज0 राज्य जर्जे तहसीलदार साहब तहसील खानपुर जिला झालावाड़
— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आर.टी.एक्ट 1955

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ श्री प्रमोदकुमार सिंधव आर. ए.एस.) व हाजरी वादीगण मिन जानिब मुद्दई श्री संजय गौतम एडवोकेट वादी रूबरू - प्रतिवादी जानिब मुद्दद्वालय पेशा होकर आदेश दिया जाता है कि :-

न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.11.2019 की अनुपालना में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कुन्जेड की जमाबंदी सं0 2073-76 की खाता सं0 65 की ख.न. 104 की 4.03 बीघा आराजी में से वादी के हिस्से का विभाजन निम्न प्रकार किया जाकर पृथक खाता कायम किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।


उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)



के पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी

| क्र०सं० | नाम ग्राम | ख०न० | रकबा है० | किस्म | लगान | दिशा |
|---------|------------------------|--------|------------|----------|------|-------|
| 1 | कुन्जेड खाता संख्या 65 | 104/1 | 0.3359 है० | माल दायम | 3.73 | उत्तर |
| कुलयोग | | 1 किता | 0.3359 है० | — | 3.73 | — |

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। पृथक लगान कायम किया जावे तथा पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी पर वादी को कब्जा भी दिया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। साथ ही जमाबंदी में शेष खातेदारान की पृविष्ठियां यथावत रहेगी।

यह डिक्री आज दिनांक 26/02/2020 को हमारे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपसहायक अधिकारी
ज्ञानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

